

1763
29/11/21

रिपोर्ट पटवारी हल्का / आईओएलओआरओ
आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार

संख्या 15 व 54 में प्रार्थी का नाम कमलेश प्रसाद राहलवा गांधी राजस्व रिकार्ड (अ.क.)
खता क्रमांक 2075-78, जामाबन्दी संख्या 15 व 54 पर नाम शुद्ध किया
जाना जाता है।

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवादी / गुदागोडजी

दिनांक :-

UR गान्धी वि. क्र. 20/
नर रिपोर्ट क्र. 20/
वि. क्र. 20/
स्टट क्र. 20/
29/11/21

इकाई फिनाल गान्धी
उत्थित है।

29/11/2021
तहसीलदार, उदयपुरवादी / गुदागोडजी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवादी जिला युंयुन (राज.)
:- आदेश :-

दिनांक :- 29/11/21

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र पत्रावली पर उपलब्ध दरतावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भूओओ) उदयपुरवादी / गुदागोडजी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भूओओ) उदयपुरवादी / गुदागोडजी को राजस्व रिकार्ड में अमल दसनद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जामाबन्दी संख्या	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
L	डुसपुरा	2075-78	15 54	कमलेश प्रसाद राहलवा रा.अ. वा.प्र.	सुनीता गांधी प्रसाद राहलवा रा.अ. वा.प्र.

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रडन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की मालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवादी

दिनांक :- 29/11/21

क्रमांक :- राजस्व/2020/1740-41
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार (भूओओ) उदयपुरवादी / गुदागोडजी को वास्ते पालनार्थ।
2. प्रार्थी / प्रार्थीया को सूचनाार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवादी